न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 102/2018 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. सोनी पुत्री रामा पत्नि मांगी लाल बलाई, निवासी– लाछुड़ा, हाल निवासी– देवनगर, तिलोली, तहसील आसीन्द ।
2. डाली पुत्री रामा पत्नि रामदेव बलाई, निवासी– लाछुड़ा, हाल निवासी– सदर, बाजार, धुवालिया, तहसील हुरडा
3. सोहन पिता जगन्नाथ माता का नाम रूकमणी बलाई, निवासी– ब्राह्मणो की सरेडी, तहसील आसीन्द
4. मेवा लाल पिता जगन्नाथ माता का नाम रूकमणी बलाई, निवासी– ब्राह्मणो की सरेडी, तहसील आसीन्द
5. मदन लाल पिता जगन्नाथ माता का नाम रूकमणी बलाई, निवासी– ब्राह्मणो की सरेडी, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत लाछुड़ा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा
2. नन्दा पिता रामा बलाई, निवासी– लाछुड़ा, तहसील आसीन्द
3. चांदी देवी पुत्री नन्दा बलाई, पत्नि प्यारचन्द बलाई, निवासी– तिलोली, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, निगरानी विरूद्ध पट्टा क्रमांक 06 दिनांक 28.01.2013, बुक संख्या 1189 के मिसल संख्या 28.01.2013 के मिसल नम्बर 16/12–13 व दायर दिनांक 30.12.2013 फैसल दिनांक 28.01.2013 द्वारा ग्राम पंचायत लाछुड़ा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री शिव सिंह चारण अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अशोक कुमार क्षोत्रिय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 व 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.03.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत लाछुड़ा, पंचायत समिति आसीन्द, के समक्ष गैर निगराकार संख्या 02 नन्दा पिता रामा बलाई के द्वारा एक आवेदनपत्र बाबत् जारी किये जाने पट्टा पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल नम्बर 16/12–13 व दायर दिनांक 30.12.2013 कायम की जाकर दिनांक 28.01.2013 को गैर निगराकार संख्या 02 नन्दा पिता रामा बलाई के नाम पर पट्टा क्रमांक 06 विधि विरूद्व तरीके से पट्टा जारी कर दिया जो कि विधि विरूद्व होकर

प्रमाणपत्र भी जारी किया है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसुद तरीके से गैर निगराकार संख्या 02 नन्दा पिता रामा के नाम पर स्व. रामा पिता किशना जी बलाई के अन्य वारिसान को नजर अन्दाज करते हुए स्व. रामा पिता किशना बलाई के अन्य वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही निगरानी याचिका की चरण संख्या 03 मे वर्णित आवासीय जायदाद जो कि स्व. रामा पिता किशना बलाई से निगराकारान् एवं गैर निगराकार संख्या 02 एवं निगराकार संख्या 03 लगायत 05 की माता रूकमणी पुत्री रामा को विरासत मे प्राप्त हुई है, का पट्टा जरिये पट्टा क्रमांक 06 दिनांक 28.01.2013, बुक संख्या 1189 के मिसल संख्या 28.01.2013 के मिसल नम्बर 16/12–13 व दायर दिनांक 30.12.2013 फैसल दिनांक 28.01.2013 केवल मात्र गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर जारी कर दिया। इस प्रकार ग्राम पंचायत लाछुडा द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित आवासीय जायदाद जो कि स्व. रामा पिता किशना से निगराकार एवं निगराकार संख्या 03 लगायत 05 एवं गैर निगराकार संख्या 02 को विरासत मे प्राप्त हुई है और निगराकारान् को विरासत मे मिली है और विधिनुसार जब कोई जायंदाद विरासत से एकाधिक वारिसान को विरासत मे प्राप्त होती है और कानूनन ऐसी जायदाद का अन्य वारिसान को नजरअन्दाज कर अन्य वारिसान के हक व अधिकार की जायदाद का केवल मात्र एक वारिस के नाम पर पट्टा जारी नही किया जा सकता है। इस आधार पर भी ग्राम पंचायत लाछुडा द्वारा जारीशुदा पट्टा विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित आवासीय जायदाद जो कि स्व. रामा पिता किशना के वारिसान को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसका आज दिनांक तक बंटवारा नही हुआ है और बिना बंटवारा हुए एक वारिस के नाम पर प्रथम तो पट्टा जारी ही नही किया जा सकता है और द्वितीय यदि कानून की अवहेलना करते हुए यदि कोई पट्टा जारी भी किया गया तो केवल उसके हक अधिकार तक का ही जारी किया जाना चाहिये था। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 ने ग्राम पंचायत के समक्ष मिथ्या तथ्य पेश कर, मिथ्या शपथपत्र व मिथ्या आवेदन करके निगराकारान् के हक हिस्से की जायदाद का पट्टा गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत लाछुड़ा द्वारा उक्त पट्टा पंचायती राज अधिनियम के नियमो की अवहेलना करते हुए न्याय एवं साम्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित गैर निगराकार संख्या 02 के साथ

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

से गैर निगराकार संख्या 02 नन्दा पिता रामा के नाम पर स्व. रामा पिता किशना जी बलाई के अन्य वारिसान को नजर अन्दाज करते हुए स्व. रामा पिता किशना बलाई के अन्य वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही निगरानी याचिका की चरण संख्या 03 मे वर्णित आवासीय जायदाद जो कि स्व. रामा पिता किशना बलाई से निगराकारान् एवं गैर निगराकार संख्या 02 एवं निगराकार संख्या 03 लगायत 05 की माता रूकमणी पुत्री रामा को विरासत मे प्राप्त हुई है, का पट्टा जरिये पट्टा क्रमांक 06 दिनांक 28.01.2013, बुक संख्या 1189 के मिसल संख्या 28.01.2013 के मिसल नम्बर 16/12–13 व दायर दिनांक 30.12.2013 फैसल दिनांक 28.01.2013 केवल मात्र गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर जारी कर दिया। विधिनुसार जब कोई जायदाद विरासत से एकाधिक वारिसान को विरासत मे प्राप्त होती है और कानूनन ऐसी जायदाद का अन्य वारिसान को नजरअन्दाज कर अन्य वारिसान के हक व अधिकार की जायदाद का केवल मात्र एक वारिस के नाम पर पट्टा जारी नही कियां जा सकता है। उपरोक्त वर्णित आवासीय जायदाद जो कि स्व. रामा पिता किशना के वारिसान को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसका आज दिनांक तक बंटवारा नही हुआ है और बिना बंटवारा हुए एक वारिस के नाम पर प्रथम तो पट्टा जारी ही नही किया जा सकता है और द्वितीय यदि कानून की अवहेलना करते हुए यदि कोई पट्टा जारी भी किया गया तो केवल उसके हक अधिकार तक का ही जारी किया जाना चाहिये था। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 ने ग्राम पंचायत के समक्ष मिथ्या तथ्य पेश कर, मिथ्या शपथपत्र व मिथ्या आवेदन करके निगराकारान् के हक हिस्से की जायदाद का पट्टा गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत लाछुड़ा द्वारा उक्त पट्टा पंचायती राज अधिनियम के नियमो की अवहेलना करते हुए न्याय एवं साम्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित गैर निगराकार संख्या 02 के साथ मिलीभगत करते हुए जारी किया गया है, विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 2 नन्दा पिता किशना बलाई को ग्राम पंचायत लाछुड़ा द्वारा भूखण्ड नपति 71 फीट गुणा 43 फीट कुल क्षेत्रफल 3053 वर्गफीट के लिए पट्टा जारी किया जो आदेशिका दिनांक 28.01.2013 में पचायन मौका निरीक्षण रिपोर्ट नक्शा व स्वयं पट्टे में अंकित है। कानूनन 157 (1) के तहत् 2700 वर्गफीट भूमि से अधिक का पट्टा ग्राम पंचायत को जारी करने का अधिकार ही नहीं है। गैरनिगराकार संख्या 2 के पट्टा हेतु आवेदनपत्र,

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

कारण बिना विभाजन के ग्राम पंचायत लाछूडा ने निगराकार संख्या 2 के नाम पर जो पट्टा बनाया वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे विधि मे प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण रूप से वैद्य है। उक्त निगरानी अवधि पार होने से चलने योग्न नही है क्योंकि निगराकारगण को 2013 मे ही गेरनिगराकार संख्या 2 के नाम पट्टा जारी करने की जानकारी थी। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत लाछुडा द्वारा विपक्षी नंदा पिता रामा बलाई के नाम पटटा कमांक 06 दिनांक 28.01.2013 को 3053 वर्गफीट का एवं पटटा जारी किया जाना पत्रावली से जाहिर होता हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के तहत ग्राम पंचायत को अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात 2700 वर्गफीट तक के क्षैत्रफल का ही पटटा जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत लाछुडा ने विपक्षी नंदा पिता रामा बलाई को पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों को ताक में रखकर विधि विरूद्व पटटे जारी किया जाना स्पष्ट होता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि पटटा आवंटन से पूर्व विपक्षी नंदा पिता रामा बलाई ने आवेदन के साथ जो शपथ पत्र पेश किये हैं उनमें एक शपथ पत्र तो स्वयं के नाम से है, जिनमें स्वयं की उम्र 60 वर्ष अंकित की हैं तथा पटटे के मकान पर 80 वर्षों से काबिज बताया गया हैं, जो विरोधाभास प्रकट करता हैं।

विपक्षी नंदा पिता रामा बलाई द्वारा प्रस्तुत अन्य शपथ पत्रों में शपथकर्ता स्वयं की ही उम्र 50 व 40 वर्ष अंकित की हुयी हैं, जिनमें उन्होनें पटटा आवेदनकर्ता नंदा पिता रामा बलाई को उक्त पटटे पर 30–40 वर्षो से मालिकाना हक जाहिर किया है, जबकि पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत उक्त पटटा जारी किया जाना पत्रावली परीक्षण से स्पष्ट होता हैं। जबकि पंचायतीराज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत 50 वर्षों से अधिक पुराने मकानों पर ही 200/– की फीस पर पटटा जारी किये जाने का प्रावधान हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत लाछुडा ने उक्त प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व जारी किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता हैं।

निगराकार द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे के खारिज किये जाने के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को निराधार साबित करने हेतु, गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा कोई पुष्ट व प्रमाणिक दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किये गये। जिससे यह स्पष्ट होता हैं प्रश्नगत पटटा पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के विपरीत, विधि विरूद्व जारी किया गया हैं एवं इस प्रकार के विधि विरूद्व तरीके से जारी पटटे प्रारब्ध से ही शुन्य होकर खारिज होने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत पटटा संख्या 06 दिनांक 28.01.2013 पूर्णरूपेण राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लाछुडा को रिमाण्ड कर प्रकरण में पटटा पुश्तैनी होने के कारण रामा पुत्र किशना बलाई के सभी विधिक वारिसानों की जाचं परख, सभी पक्षकारानों की सुनवायी की जाकर, समस्त दस्तोवजात की जांच परख की जाकर नये सिरे से निर्णित पारित किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत लाछुडा तहसील आसीन्द के पटटा संख्या 06 दिनांक 28.01.2013 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लाछुडा को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता हैं कि, प्रकरण में पटटा पुश्तैनी होने के कारण रामा पुत्र किशना बलाई के सभी विधिक वारिसानों की जाचं परख, सभी पक्षकारानों की सुनवायी की जाकर, समस्त दस्तावेजात की जांच परख की जाकर नये सिरे से निर्णित पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत लाछुडा तहसील आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा